उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

अतिक्रमण अपील वाद संख्या–154 / 2024

झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० वगै० बनाम् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
29/04/25	अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० वगै० के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद W.P.(C) No.- 957/2018 झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० एवं अन्य बनाम वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में दिनांक–14.11.2024 को पारित आदेश की प्रति संलग्न कर अपील आवेदन दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–हेसला के खाता संख्या–84, प्लॉट संख्या–50 एवं 4 रकवा–14.30 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम के तहत विधिवत निबंधित कंपनी है। विषयगत वाद माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–14.11.2024 को W.P.(C) No.- 957/2018 झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के तहत पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय न्यायालय ने अतिक्रमण अपील वाद संख्या–06 / 2017 में दिनांक–13.09.2017 को पारित आदेश निरस्त करते हुए वर्तमान अपील में कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए भवदीय न्यायालय को Remand किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने पत्र F.NO.J-11011/41/2013-IA.-II(I) दिनांक–07.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को उसके संयंत्र से संबंधित परियोजना के लिए EIA अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों के साथ प्रदान की गई है। जिसके तहत परियोजना स्थल की परिधि के आस–पास पर कुल भूमि के 40% भाग पर हरित पट्टी विकसित की जाएगी, जिसमें वृक्ष घनत्व 2500 पेड़ प्रति हेक्टेयर (1000 पेड़ प्रति एकड़) होगा। इसमें परियोजना स्थल के भीतर ग्राम–अरगड्डा और ग्राम–महुवा टांड की ओर 10–20 मीटर की चौड़ाई वाली हरित पट्टी का विकास शामिल होगा। उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के लिए अपीलार्थी ने क्षेत्र में हरित पट्टी विकास के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को दिनांक–19.12.2023 का अनुरोध पत्र	

दिया। जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने अपने पत्र संख्या–90 दिनांक–18.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को प्रस्तावित भूमि पर हरित पट्टी विकास के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर अतिक्रमण एवं अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व से फेंके मलबे का समतलीकरण कर कम से कम 3 से 4 फीट उपजाऊ मिट्टी भरते हुए वनीकरण कार्य किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वृक्षारोपण स्थल का विकास शुरू करते हुए पत्र संख्या–JIPL/2023–24 दिनांक–13.03.2024 के माध्यम से विकास की प्रगति की जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को दी गई। वृक्षारोपन कार्य को और अधिक गति के पश्चात पुनः पत्र संख्या–JIPL/2024–25 दिनांक–22.05.2024 एवं पत्र संख्या–JIPL/2024–25 दिनांक–20.07.2024 के माध्यम से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को प्रश्नगत भूमि पर पौधा लगाने एवं बांस व बबुल की बीजारोपन की सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारी समय–समय पर विकास प्रगति का निरीक्षण करते रहे हैं। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने दिनांक–12.09.2024 और दिनांक–18.10.2024 को साइट का दौरा किया है। साइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, छोड़े गए क्षेत्रों को विकसित किया गया है और ढलानों पर पत्थर की पिचिंग पूरी हो गई है। JIPL द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लगभग 5000 पौधे लगाए गए हैं। रोपित पौधा के उचित सिंचाई किए जाने निमित चल स्प्रिंकलर और पाइपिंग व्यवस्था स्थापित की गई है। जिसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट JIPL के पत्र संख्या–JIPL/2024–25 दिनांक–09.12.2024 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को प्रस्तुत की गई है। उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एवं यह मानते हुए कि अतीत में प्रश्नगत भूमि का JIPL द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अपीलार्थी इसे हटाने के लिए जिम्मेदार थे अपीलार्थी द्वारा इसे हटाते हुए वृक्षारोपन कार्य किया गया है। रिट याचिका W.P.(C) No.- 957/2018 में दिनांक–14.11.2024 में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा BPLE Act, 1956 के तहत वाद संख्या–07/2007 एवं वाद संख्या–05/2016 में पारित आदेश को बदली हुई परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, का आदेश पारित किया गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्र संख्या–36 दिनांक–03.01.2018 में निहित नोटिस जिसमें अपीलार्थी को अतिक्रमण हटाने या हटाने की लागत के रूप में धन जमा करने के लिए कहा गया है, दो कारणों से रद्द किए जाने योग्य है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के BPLE Act, 1956 मामलों में पारित आदेश दिनांक–24.11.2016 पर आधारित है, जो स्वयं अव्यवहारिक है, जो वर्तमान में परिस्थिति में लागू होने के योग्य नहीं है। इस मामले में अतिक्रमण हटाने की लागत जमा करने की मांग BPLE Act, 1956 की धारा–7 में निहित प्रावधानों के विपरीत की गई है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने का हर संभव प्रयास करते हुए अतिक्रमण हटा लिया गया है। विषयगत मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यह अपीलीय प्राधिकारी के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा तथा उन्होंने यह भी कहा है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित किए जाने के पश्चात यदि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी है, तो निश्चित

Scanned with OKEN Scanner

रूप से BPLE Act, 1956 की धारा–7 के अनुसार नया नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.- 957/2018 झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–14.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण वाद संख्या–06/2017 के तहत पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक–836 दिनांक–26.04.2025 में प्रतिवेदित किया है कि राजस्व उपनिरीक्षक–सह–अचंल निरीक्षक के साथ स्थल निरीक्षक किया गया। स्थल निरीक्षण तथा राजस्व कागजातों के जाँच कर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हेसला थाना सं०–138 के खाता सं०–64, प्लॉट नं०–50 एवं 04 रकवा–14.30 ए० किस्म जंगल खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। स्थल जाँच में पाया गया कि उक्त प्लॉट का वर्तमान स्वरूप परती है जिस पर झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० वगै० के द्वारा पौधारोपन किया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक–992 दिनांक–09.04.2025 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, (JIPL) ग्राम–हेसला रामगढ़ ने वर्ष–2006 से ही अपने फैक्ट्री के पास अधिसूचित वन भूमि का उपयोग कच्चे माल और स्पंज आयरन बनाने की प्रक्रिया में अवशेष (Raw Materials and by Products) के भंडारण के लिए करना शुरू कर दिया था। उनके इस कृत्य के लिए वर्ष–2006 में वन शिकायत वाद संख्या–278/06 के तहत मामला दर्ज किया गया। उस समय अतिक्रमण का क्षेत्र लगभग रकवा–2 एकड़ (लगभग 0.8 हेक्टेयर) पाया गया था। उक्त मामले के दर्ज होने के बाद भी JIPL ने स्पंज आयरन उद्योग के अवशेष डोलोचार को फिर से वन भूमि पर डंप करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप वर्ष–2016 में JIPL के विरूद्ध पुनः वन शिकायत वाद संख्या–85/16 दर्ज किया गया। इस अवधि तक अतिक्रमण भूमि की सीमा बढ़कर रकवा–8 एकड (लगभग 3 हेक्टेयर) हो गई।

JIPL की यह गतिविधि निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया माना जा सकता है :–

(1) भारतीय वन अधिनियम–1927 – वन भूमि को छेडछाड़ करने और वनस्पति को हटाना।

(2) वन संरक्षण अधिनियम–1980 – केंद्र सरकार की अनुमति या डायवर्सन के बिना अधिसूचित वन भूमि का गैर–वानिकी उपयोग करने।

(3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 – पर्यावरण मंजूरी के दौरान लगाए गए शून्य डंपिंग की शर्तों का अनुपालन नही करने।

पूर्व मे रामगढ़ के प्रभागीय वन कार्यालय मे जाँच प्रतिवेदन के अनुसार JIPL द्वारा किए गऐ डंप की ऊंचाई 70–90 फीट तक पहुच गई थी। फलस्वरूप वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम BPLE Act, 1956 के तहत दो मामले वाद संख्या–07/2007 और 05/2016 प्रारंभ करते हुए

दिनांक–24.11.2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया। जिसमें JIPL को अधिसूचित वन क्षेत्र से डंप की गई सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया था और इसे हटाने में विफल रहने की स्थिति में, उन पर नियमानुसार जुर्माना का आदेश दिया गया। इस बीच 5 वर्षों की अवधि के बाद JIPL ने सितंबर 2022 में प्राप्त पर्यावरण मंजूरी के आधार पर वर्ष–2023 में आस–पास के वन क्षेत्र, जो कि अतीत में उसी डंप किए गए क्षेत्र का हिस्सा था, पर वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के कार्यालय में आवेदन किया। JIPL ने वन अधिकारियों के यह तथ्य संज्ञान में लाए बिना यह वही क्षेत्र का भूमि है जहाँ पूर्व में अतिक्रमण के मामले दर्ज किए गए है और इसमें BPLE Act, 1956 में पारित आदेश का अनुपालन लंबित है। वृक्षारोपन की स्वीकृति आदेश प्राप्त करने में सफल रहें।

ज्ञातव्य हो कि उक्त अतिक्रमित भूमि की Google Earth से सैटेलाइट इमेजरी की फोटो ली गई है। वर्ष–2012 की सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार JIPL द्वारा 1.7 हेक्टेयर क्षेत्र में डंपिंग की गई, जो पूरी तरह से अधिसूचित वन क्षेत्र के अंदर है। जिससे स्पष्ट है कि वर्ष–2006 में दर्ज वाद के बाद भी वर्ष–2018 तक डंपिंग जारी रही और अतिक्रमण का क्षेत्र बढकर 3 हेक्टेयर हो गया। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार डंप की गई सामग्री को हटाने का काम वर्ष–2020 में शुरू हुआ। वर्ष–2022 में डंप की गई सामग्री को हटाया जाना दिखाई दे रहा है, हालांकि नदी के पास अभी भी अंशिक डंप मौजुद है। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार वर्ष–2023 में डंप की गई सामग्री को उचित ऊंचाई तक हटाया गया है, जिससे अतिक्रमित भू–भाग समतलाकृत बन गई है। 12 सितंबर 2024 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद की सुनवाई और माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार से मौखिक निर्देश प्राप्त करने के बाद 18 अक्टूबर 2024 को साइट निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण की अनुमति मिलने के बाद JIPL ने शेष डंप किए गए क्षेत्र को स्थलाकृति में समतल बना दिया है और बाहर से मिट्टी लाकर ऊपरी परत को मिट्टी से ढंकना शुरू कर दिया है केवल आंशिक रूप से नाले के पास के क्षेत्र में डंप रह गया है। साइट निरीक्षण से शेष डप की गई चारकोल की ऊंचाई का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह डंप शुरुआती 70 फीट थी जो अभी लगभग 20 फीट रह गया है।

पर्यावरण व भूमि संरक्षण के मद्देनजर JIPL को समतलीकृत व वृक्षारोपन के अलावा और भी कई काम किए जाने की आवश्यकता है। यथा (1) वर्षा के दौरान ऊपरी मिट्टी को काटने से बचने के लिए स्टॉर्म ड्रेन का निर्माण। (2) ढलान को स्थिर करने के लिए ढलान के निचले आधे हिस्से पर पत्थर की पिचिंग। (3) ढलान को शुरुआती वर्षों के लिए स्थिर करने के लिए ढलान पर जूट की जाली लगाना। डंप साइट के चारो ओर टो ड्रेन गारलैंड ड्रेन का निर्माण। (5) नदी तट के निकट छोटे छूटे हुए क्षेत्र का पुनर्वास आदि।

उल्लेखनीय है कि डालोचर के पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित CPCB द्वारा वर्ष–2007 में प्रकाशित दिशा–निर्देश पृष्ट–115 में ओस अपशिष्ट प्रबंधन कोयला खानों के अपशिष्टों के साथ मिलाकर बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही चार कोल को स्थानीय उद्यमियों को कोयला ब्रिकेट बनाने के लिए बेचा जा सकता है। इसे कोयले के चूर्ण के साथ मिलाकर ब्रिकेट में परिवर्तित करके ईंट भट्टो में भी उपयोग किया

जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में चार कोर को कृषि क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों में नहीं फेंका जाना चाहिए। वर्तमान समय में सबसे अच्छा तरीका वृक्षारोपण करके क्षेत्र का पुनर्वास करना उचित प्रतीत होता है।

JIPL ने सितंबर 2022 में 6MW WHRB, 2 MW कोयला चार आधारित और 10MW कोयला आधारित बिजली संयंत्र सहित अपने विस्तार के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के दौरान फैक्ट्री के प्रदूषण समीक्षा की गई। जिसके आधार पर JIPL को नुकसान निवारण करने के लिए कहा गया एवं उक्त गतिविधियों के लिए 6.6 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान का निदेश दिया गया। JIPL द्वारा वन भूमि पर डंपिंग के कारण होने वाले नुकसान और वन द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को होने वाले नुकसान की गणना आकलन भारत सरकार द्वारा प्राप्त अधिसूचित दिशा निदेश के आलोक में किया गया है। जिसके तहत मुआवजा 9,57,780 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इस प्रकार 3 हेक्टेयर के लिए यह राशि लगभग 30 लाख रुपये होती है।

JIPL ने अधिसूचित वन के ऊपर डंप साइट से चार डोलोचर की महत्वपूर्ण मात्रा को हटा दिया है, लेकिन यह 70 फीट से घटकर 20 फीट हो गया है और डोलोचर का कुछ हिस्सा अभी भी साइट पर बचा हुआ है। उक्त तथ्यों को आलोक में JIPL को वन भूमि के गैर–वानिकी उपयोग के लिए दोषी मानते हुए प्रदूषण भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) की धारा–7 के तहत 30 (तीस लाख) रूपय जुर्माना लगाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अतिक्रमित भूमि गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान भूमि परती है जिस पर JIPL द्वारा वृक्षारोपन का कार्य किया गया है। विचाराधीन भूमि के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि JIPL द्वारा अधिसूचित वन भूमि पर गैर–वानिकी कार्य किया गया है जो विभिन्न धाराओं यथा (1) भारतीय वन अधिनियम–1927, (2) वन संरक्षण अधिनियम–1980, (3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 का उल्लंघन है। JIPL पर उक्त कृत के लिए (Polluter Pays Principle) की धारा–7 के तहत 30,00,000 (तीस लाख) रूपया जुर्माना का अनुरोध किया गया है। जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा बहस के दौरान उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :–

1. अपीलार्थी द्वारा मौजा–हेसला के खाता संख्या–64, प्लॉट संख्या–50 एवं 04 रकबा–14.30 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास किस्म जंगल खाते की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करते हुए फैक्ट्री की अवशेष डंप किया गया जिसके विरुद्ध वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा BPLE Act, 1956 के तहत वाद संख्या–07 / 2007 एवं BPLE वाद संख्या–05 / 2016 मे अतिक्रमण मानते हुए आदेश पारित

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का वाद सख्या W.P.(C) No.- 957/2018 दायर किया गया।

2. अंचल अधिकारी, रामगढ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा–हेसला थाना सं०–138 के खाता सं०–64, प्लॉट नं०–50 एवं 04 रकवा–14.30 ए० किस्म जंगल खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। उक्त प्लॉट का वर्तमान स्वरूप परती है जिस पर झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० वगै० के द्वारा पौधारोपन किया गया है।

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया गया है कि JIPL द्वारा विचाराधीन भूमि पर वर्ष–2006 से अतिक्रमण किया गया था वर्त्तमान में अतिक्रमण हटाते हुए अतिक्रमित भूमि पर मिट्टी भराव व वृक्षारोपन का कार्य किया गया है। नाला के पास अभी भी अंशिक डंप बचा हुआ है। परन्तु उनके द्वारा पूर्व में भूमि अतिक्रमण करते हुए वन क्षेत्र में गैर–वानिकी कार्य किया गया है, जिसके लिए JIPL को दोषी मानते हुए (Polluter Pays Principle) की धारा–7 के तहत 30,00,000 (तीस लाख) रूपया जुर्माना वसूलने का अनुरोध किया गया है।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अतिक्रमित भूमि गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान भूमि परती है जिस पर JIPL द्वारा वृक्षारोपन का कार्य किया जा रहा है। विचाराधीन भूमि के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि JIPL द्वारा अधिसूचित वन भूमि पर गैर–वानिकी कार्य किया गया है जो विभिन्न धाराओं यथा (1) भारतीय वन अधिनियम–1927, (2) वन संरक्षण अधिनियम–1980, (3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 का उल्लंघन है। JIPL पर उक्त कृत के लिए (Polluter Pays Principle) की धारा–7 के तहत 30,00,000 (तीस लाख) रूपया जुर्माना का अनुरोध किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

आदेश :–

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता, अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि JIPL द्वारा वर्ष–2006 से भूमि मौजा–हेसला के खाता संख्या–64, प्लॉट संख्या–50 एवं 4 रकवा–14.30 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसकी सहमति अपीलार्थी द्वारा भी दी गई है। परन्तु कालान्तर में JIPL द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटा लिया गया है एवं अपने खर्च पर अतिक्रमित भूमि पर बाहरी मिट्टी का भराव व वृक्षारोपन का कार्य किया है। अतिक्रमित भूमि के नाला के पास अशिक डप अभी तक नही हटाया गया है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि इस प्रकार की बदली हुई परिस्थिति मे जिन स्थानो से अतिक्रमण हटा कर वृक्षारोपन कर लिया गया है, उसमे JIPL के विरूद्ध BPLE Act, 1956 के तहत कार्रवाई की प्रासंगिकता समाप्त होना प्रतीत होता है। साथ ही Polluter Pays Principle के तहत किसी प्रकार का जुर्माना अतिक्रमण वाद के अन्तर्गत

लगाया जाना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर प्रतीत होता है। अतिक्रमण वाद का यह अपील मात्र BPLE Act, 1956 के तहत ही पोषणीय है।

अतः JIPL को आदेश दिया जाता है कि अतिक्रमित भूमि पर जो भी आंशिक डंप बचा हुआ है उसे 30 दिनों के अन्दर खाली कर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचित करेंगे। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त भूमि पर (1) वर्षा के दौरान ऊपरी मिट्टी को काटने से बचने के लिए स्टॉर्म ड्रेन का निर्माण। (2) ढलान को स्थिर करने के लिए ढलान के निचले आधे हिस्से पर पत्थर की पिचिंग। (3) ढलान को शुरुआती वर्षों के लिए स्थिर करने के लिए ढलान पर जूट की जाली लगाना। डंप साइट के चारों ओर टो ड्रेन गारलेंड ड्रेन का निर्माण। (5) नदी तट के निकट छोटे छूटे हुए क्षेत्र का पुनर्वास आदि की व्यवस्था किए जाने निमित आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। यदि अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो तथ्यों के जाँचोपरांत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ पुनः विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने के लिए स्वतंत्र होंगें।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 29/04/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 29/04/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.05.13 17:02:30 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned with OKEN Scanner